प्रकरण सं. 48/2024 सरकार बनाम दिनेश

3001-

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/11/25	पत्रावली पेश हुयी उभय प पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 21/11/25 को पेश हो। आदेश से रीडर	
21/11/25	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 16/12/25 को पेश हो। आदेश से रीडर	
16/12/25	पत्रावली पेश हुई पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता उप०। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 की ओर से जवाब पेश नहीं। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण सेन ने मूल वाद में अधिकार पत्र दिनांक 16/1/25 को पेश किया गया। 11 माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किये जाने से अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 का जवाब बंद किया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 लगा. अप्रार्थी सं. 4 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से बिना रूपान्तरण कराये भूखण्डों के रूप में विक्रय किये जा रहे हैं एवं क्रेताओं के द्वारा बिना संपरिवर्तन कराये कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग बिना सक्षम स्वीकृति के किये जाने से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29/11/2024 को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी पैरोकार सरकार वादग्रस्त भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग को साबित करने	

— लगातार —

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

800/ प्रकरण सं. 48/2024 सरकार बनाम डिनेश

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/12/25	में असफल रहे हैं। अत: प्रार्थी के पक्ष में जारी एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त किया जावे।	

डिनेश सरकार द्वारा रिवीजन बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में यदि अप्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक यथावत् नहीं रखा जाता है तो अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग बिना सक्षम स्वीकृति के करेंगे एवं मौके पर भूमि का स्वरूप पूर्णतया परिवर्तित कर देंगे। जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का उद्देश्य पूर्णतया निष्फल हो जावेगा। अत: प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29/11/24 को मूलवाद के निस्तारण तक यथावत् रखने का आदेश पारित फरमाया जावे।

प्रकरण में उपलब्ध कागजात, अभिवचनों की बहस पर मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं सम्बन्धित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत फोटोग्राफ्स एवं विज्ञापनों से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का 11 भूखण्डों के रूप में विक्रय करने हेतु प्लॉट तैयार किया गया है और उसी अनुरूप कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन कराये एवं सक्षम स्वीकृति के बिना अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाने का कार्य किया जा रहा है। न्यायालय का यह विधिक दायित्व है कि मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त सम्पत्ति के अन्तरण को रोके जिससे अनावश्यक रूप से नवीन वाद-विवाद उत्पन्न नहीं हो। अत: अप्रार्थी सं- 1 लगा- 4 के विरुद्ध जारी एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक यथावत रखा जाना उचित होगा। अतएव

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में जारी

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण सं. .... इजलास

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/12/25	एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29/11/2025 को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो। [signature] 16/12/25 **सहायक कलक्टर** **भीलवाड़ा**	